कार्यालय अध्यक्ष, महामाया देवी मेला समिति, सीकरी खुर्द/उप-जिलाधिकारी, मोदीनगर

पत्रांक 25 /सीकरी मेला/2023 दिनांक 10 मार्च, 2023

महामाया देवी सीकरी मेला–2023 की ठेका नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 22 मार्च, 2023 से 30 मार्च, 2023 तक सीकरी खुर्द में महामाया देवी मेला–2023 आयोजित होना है, जिसके निम्न प्रकार ठेके दिनांक 15 मार्च, 2023 को दोपहर 02 बजे तहसील सभागार मोदीनगर में समिति पदाधिकारियों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा छोडे जायेंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार नीलामी से पूर्व पृथक–पृथक धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में **महामाया देवी मेला समिति, सीकरी खुर्द** के नाम बंधक कराकर बोली प्रारम्भ होने के एक दिवस पूर्व कार्यालय नगर पालिका परिषद मोदीनगर में अन्य प्रपत्रों सहित जमा करनी होगी।

नोटः– अश्व प्रजाति के पशुओं में "गलैन्डर्स" बीमारी की सम्भावना को देखते हुए पशु मेला नहीं लगाया जायेगा।

क्र0सं0	ठेका विवरण	धरोहर धनराशि	ठेका की अवधि
1.	ठेका मन्दिर चढावा	रू0 10 लाख	चैत्र मेला 2023 प्रारम्भ के पूर्व सप्ताह से वर्ष 2024 के मेला प्रारम्भ के पूर्व सप्ताह तक।
2.	ठेका तहबाजारी	रू0 05 लाख	चैत्र मेला 2023 की अवधि में।

उपरोक्त ठेकों के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद मोदीनगर की वेबसाईट www.nppmodinagar.com पर उपलब्ध है एवं किसी भी कार्यदिवस में नगर पालिका परिषद मोदीनगर के स्टोर विभाग से प्राप्त की जा सकती है। समस्त नियम व शर्तें बोली से एक दिवस पूर्व पूर्ण करनी अनिवार्य हैं।

सचिव/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, गाजियाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी (प्र0), गाजियाबाद।
5. सचिव/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मोदीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. खण्ड विकास अधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. समिति सदस्यगण, मोदीनगर।
8. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, मोदीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सार्वजिनक सूचना को अपने आगामी अंक पत्र में शासकीय दरों पर कम से कम स्थान मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं प्रकाशित समाचार पत्र की 03 प्रतियों सहित देयक बिल भुगतान हेतु पालिका को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष/उपजिलाधिकारी
मोदीनगर।